

वाद पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भु-राजस्व अधिनियम की धारा 136 व आरटीए धारा 88 बाबत् दूरुस्त करने राजस्व रिकार्ड बरबिनाय साक्ष्य हर किस्म

डिक्री

दिनांक :- 20/01/2026

राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा इस वाद में आज दिनांक 20/01/26 को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट एवं राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 88 के

3  
सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

दिनांक 20/01/26



तहत तहसीलदार पीलीबंगा के रिपोर्ट पत्रांक 1129 दिनांक 06.05.25 के आधार पर कब्जा काश्त के अनुसार निम्न अनुसार वाद पत्र स्वीकार कर घोषणा की जाती है कि पूर्व की प्रविष्टियां विलोपित कर निम्नानुसार रकबा दर्ज किया जावे-

चक 3 एलजीडबल्यू खाता संख्या 104 प.न. 49/284 मु0न0 62 किला न. 15-16-17-24-25 की 1.265 है. प.न. 49/285 मु0न0 75 किला न. 5/1-5/2 की .253 है. प.न. 50/284 मु.न. 61 किला न 1 ता 25 मु.न. 6.325 है. प.न. 50/285 मु.न. 76 किला न. 1 ता 11 की 1.948 है. कुल 9.791 है. नहरी मय खाला दर्ज रिकार्ड में 1. सुखदेव सिंह को 3.010 है. 2. दिलप्रीत सिंह को .253 है. 3. कुलविन्द्र सिंह को 1.6320 है. 4. मनवीर सिंह को 1.6320 है. 5. कुलवीर सिंह को 1.6320 है. 6. जसविन्द्र सिंह को 1.6320 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा अनकमाण्ड/नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( उमर मित्तल )  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा